न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(90)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2388–पीबीआर/16 विरूद्ध तहसीलदार तहसील धार, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 8–7–2016 प्रकरण कमांक 01/अ–6(अ)/2011–12.

चंद्रवीर सिंह पिता गजेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम केसुर
तहसील व जिला धार ....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा,अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील धार, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 8–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कैलाश पिता काशीराम द्वारा तहसीलदार, तहसील धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चौकी तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 24 रकबा 1.163 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में उसके नाम दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि का पट्टा उसे वर्ष 1962 में प्राप्त हुआ था, और वर्तमान में वह प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है । उसे भूमि पर कृषि उत्थान हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करना है, इसलिए हस्तांतरणीय शब्द हटाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–6(अ)/2011–12 दर्ज कर दिनांक 16–11–2011 को अंतिम आदेश पारित किया गया । तदोपरान्त तहसीलदार द्वारा पूर्व आदेश में अनियमितता पाते हुए

पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, धार को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–8–2015 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–7–2016 आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । तहसीलदार के इसी कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनांक 13–4–2017 को अनावेदक शासन के तर्क सुने जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था कि आवेदक के विद्वान अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं आवेदक की ओर से निगरानी मेंमों में उठाये गये आधारों तथा अभिलेख के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार उठाये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह आधार भी उठाया गया है कि तहसील न्यायालय का आदेश अपीलीय आदेश था, और उक्त आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही पुनर्विलोकन की कार्यवाही इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश में अनियमितता पाये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी से विधिवत पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जहां आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रीमेच्योर एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील धार, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 8–7–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर